(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मती मोहसिना किदवाई): (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय रोजगार समिति की 6 जुलाई 1981 को एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग). केन्द्रीय रोजगार समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही विवरणी में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी -- 5608/82]

Teachers about rights and obligations of Workers

3584. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Board of Workers Education is teaching the workers about their rights and whether the SHRAMICK VIDYAPEETH under the Education Ministry is teaching the workers about their obligations, as has been pointed out by the General Secretary of INTUC in the Bangalore Convention of Shramick Vidyalaya held recently; and

(b) if so, the steps proposed to be taken for averting such duplication of workers' education?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) The General Secretary of the INTUC has not made a statement in the Bangalore Seminar that the Central Board for Workers Education is teaching the workers about their rights and the Shramick Vidyapeeth under the Ministry of Education is teaching the workers about their obligations. The General Secretary, INTUC, in his presidential remarks observed that there was great need to avoid duplication in any effort in any sphere of our national endeavour. One of the objects of the Seminar was to see how the activities of the two organisations could be coordinated. The Seminar concluded that the activities of both these organisations were complementary to each other.

(b) Does not arise.

Recommendations of working group on Overseas Employment

3585. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Working Group on Overseas Employment; and

(b) the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) and (b). Three meetings of the Working Group on Overseas Employment have taken place. Various issues have been discussed at these meetings, but the Working Group has not yet concluded its deliberations and no specific recommendations have yet been made.

Districts covered by T.V. relay centre, Kodaikanal

3586. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state as to how many districts will be covered by T.V. Relay Centre at Kodaikanal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI N. K. P. SALVE): While Madurai and Coimbatore Districts will be fully covered by the TV Relay transmitter at Kodaikanal, its coverage of the districts of Ramnathpuram, Salem, Tiruchi, Tirunelvelli and Thanjavur will be partial.

एशियाड पर डाक टिकट जारी किया जाना

3587. **श्री राम प्यारे पनिका:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एशियाड पर डाक टिकट जारी करने का था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको अब स्थगित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या एशियाड पर यह डाक टिकट भविष्य में जारी किया जायेगा; और

(घ) यदि हा, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) सरकार ने नवम एशियाई खेल, 1982 विषयक अनेक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। इन खेलों में पूर्व इनके प्रचार के उद्देश्य से 1981 के दौरान चार डाक-टिकट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस वर्ष छः से लेकर आठ डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।

(ख) 28-8-1982 को जारी किये जाने वाले दो डाक-टिकटों के एक सेट को जारी करना स्थगित कर दिया गया।

(ग) दोनों डाक-टिकटों में से एक डाक-टिकट के विषय में कुछ भ्रांति थी।। फिर भी, इस डाक-टिकट को निकट भविष्य में जारी करने का प्रस्ताव है। दूसरा डाक-टिकट 30-10-1982 को जारी किया गया।

(घ) इसको जारी करने की निश्चित तारीख अभी निश्चित नहीं की जा सकी है।

उत्तर प्रदेश को अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई

3588. **श्री राम प्यारे पनिका:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विद्युत संयंत्रों के लिए अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसे कब तक स्प्लाई कर दिया जायेगा;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को सप्लाई की जा रही कोयले की मात्रा राज्य के विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य को कोयले की सप्लाई की मात्रा बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी और कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) से (ग). कोयला विभाग के अधीन एक स्थायी संयोजन समिति देश में बिजली घरों की जरूरतों का पुनरीक्षण करती है और प्रत्येक तिमाही में उनके कोयला संयोजन निश्चित करती है। इस समिति क बैठकों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विभाग, रेलवे, कोयला कम्पनियों तथा राज्य विद्यत बोर्डों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। स्थायी संयोजन समिति की इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के बिजली घरों की कोयले की जरूरतों पर विस्तार से विचार किया जाता है, तिमाही संयोजन कोयले की मात्रा और इसके साथ-साथ किस्म दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुये निश्चित किये जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उसके बिजली घरों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई के लिये कोई आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले कई वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को कोयले के वास्तविक प्रेषण निम्नलिखित रहे हैं—

(आंकड़े हजार टनों में)

वर्ष	प्रेषण
1979-80	6452
1980-81	6809
1981-82	7419
1982-83 (वर्ष का पूर्वार्द्ध)	3788

(घ), (ङ) और (च). उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को सप्लाई किये जा रहे कोयले की मात्रा उनकी जरूरतों को पूरा करने के